RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 जनवरी, 2017 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, मोहित अग्रवाल वर्ष : 13, अंक : 8

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

शीतगृहों का भण्डारण सत्र शुरू होने वाला है। हमारी पत्रिका जब तक आप तक पहुँचेगी तब कुछ शीतगृहों में तो आलू आना शुरू भी हो चुका होगा। जैसा कि आप सब जानते है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश मे ही नही, सारे भारत में, अन्य और फसलों के साथ–साथ, आलू की फसल भी बहुत अच्छी है। कही रोग लगने के समाचार नहीं मिले हैं। यदि कही छिट–पुट झुलसा रोग लगा भी है तो उससे हानि न के बराबर हुई है। इस प्रकार उत्पादन बहुत अच्छा गिना जा रहा है।

दिनांक 29 जनवरी, 2017 व 30 जनवरी, 2017 को भण्डारण प्रभार पर आधारित एक मीटिंग होटल लीनेज, लखनऊ में आयोजित की गई थी। इसमें काफी बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित हुए। इसमें आम राय यह ही थी कि पूरे प्रदेश में आलू की फसल बहुत अच्छी है और उत्पादन भी काफी अधिक होगा। आलू के भाव काफी गिरे हुए हैं, इस कारण किसान अभी आलू की खुदाई करने का →

इच्छुक नहीं है और वह आलू को खोद कर सीधा कोल्ड स्टोरेज में ले जाना चाहता है। इस प्रकार सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शीतगृहों की सारी भण्डारण क्षमता काम में आ जायेगी। नए तैयार हुए शीतगृह भी पूरी तरह से भर जायेंगे।

हम साथ–साथ हैं

इस मीटिंग में शीतगृहों के बड़े हुए खर्चों पर भी बहस हुई। आम राय यह थी कि बढ़े हुए खर्चों को जोड़कर व मुद्रा स्थिति को ध्यान रखते हुए, शीतगृहों पर बोझा कम से कम 20 रूपए कुन्तल पड़ रहा है, जो कि 9–10 प्रतिशत के बीच में आता है, परन्तु शीतगृहों ने इसके अनुसार अपना भण्डारण प्रभार वर्ष 2017 के लिए मात्र 10 रूपए प्रति कुन्तल बढ़ाने की इच्छा दर्शायी है, जो कि करीब 4–5 प्रतिशत ही बैठती है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने भी भण्डारण प्रभार को वर्ष 2016 के अनुपात में वर्ष 2017 के लिए 10 रूपए प्रति कुन्तल से अधिक न बढ़ाने की सलाह दी है।

वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की कलकत्ता मीटिंग के सम्बन्ध में :–

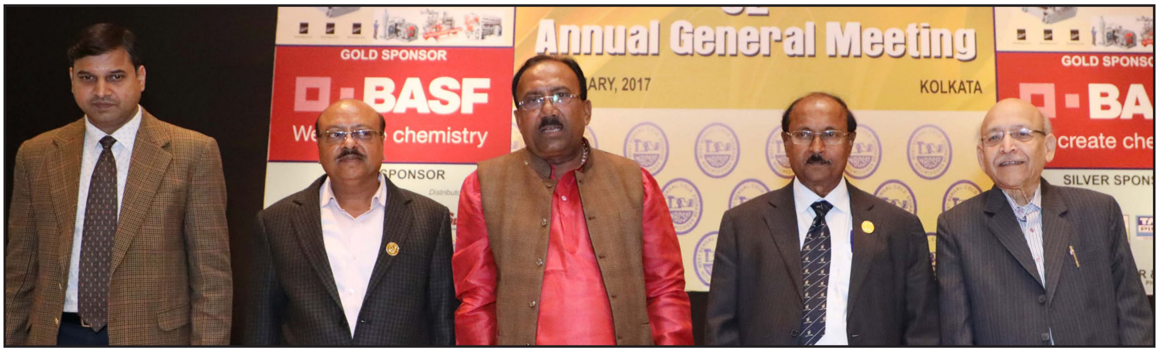

Left to Right : Shri. Rajesh Kumar Sinha, Secretary, Department of Agricultural Marketing Government of West Bengal, Shri. Rajesh Kumar Bansal, Secretary, West Bengal Cold Storage Association, Shri. Tapan Dasgupta Hon'ble Minister In Charge Departmnt of Agricultural Marketing Government of West Bengal, Shri. Patit Paban De, President, West Bengal Cold Storage Association, Shri Mahendra Swarup President, Federation of Cold Storage Association of India

दिनांक 24.1.2017 को वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें हम भी आमन्त्रित थे।

→

इस मीटिंग का मुख्य विषय सरकार के सामने भण्डारण प्रभार के विषय को रखना था। पश्चिम बंगाल का भण्डारण प्रभार सरकार निर्धारित करती है।

अन्य प्रदेशों के अनुपात में पश्चिम बंगाल का भण्डारण प्रभार सबसे कम है जो कि 134 रूपए प्रति कुन्तल है, जब कि भारत के किसी भी प्रदेश में 190 रूपए प्रति कुन्तल से कम भण्डारण प्रभार नहीं है। इसके अतिरिक्त कई प्रदेशों में तो राज्य सरकारों द्वारा अन्य छूट भी प्रदान की जाती है।

पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, श्री पतित पाबन डे, ने इस मीटिंग में अपनी बात बहुत जोरदार तरीके से रखी है। आशा है कि सरकार उनके भण्डारण प्रभार पर अवश्य ध्यान देगी।

यह मीटिंग बहुत बढ़िया तरीके से आयोजित की गई थी। काफी बड़ी संख्या में शीतगृहस्वामी इसमें सम्मलित हुए। श्री पतित पाबन डे, अध्यक्ष व श्री गोबिन्द कजरिया, उपध्यक्ष व अन्य सदस्यगण इस आयोजन के लिए बधाई के पात्र है।

नई डायरेक्ट्री के सम्बन्ध में :–

कृपया ध्यान दें कि फेडरेशन की नई डायरेक्ट्री तैयार होने जा रही है जो कि मई के अन्त तक प्रकाशित कर दी जायेगी, जिसमें अधिक से अधिक शीतगृहों के नाम, पते, क्षमता, टेलीफोन नम्बर व ई–मेल पते दिए जाने भी कोशिश की जायेगी। आपसे अनुरोध है कि आप अपने शीतगृहों के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत करें। आप हमारी 2015 की डायरेक्ट्री देख लें और यह पता कर लें कि उस डायरेक्ट्री में आपका सही पता दिया है या नहीं। ई–मेल पते पर विशेष ध्यान दें। यदि कोई बदलाव कराना है तो हमें तुरन्त सूचित करें। इसका सही होना बहुत अधिक आपके हित में होगा। आपका गलत पता होने से या गलत ई–मेल होने से कोई भी आपको संपर्क नहीं कर पायेगा।

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से अब रोज की सूचानाओं के लिए चिट्ठी लिखना बन्द कर दिया है, आपको सूचना तुरन्त ई–मेल द्वारा दी जाती हैं। यदि आपका ई–मेल पता गलत हुआ तो आप ऐसी सूचनाओ ंसे वंचित रहेंगे। इसको सही करने का मौका आपको दो साल बाद ही मिल सकेगा।

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की नई सदस्यता के बारे में :–

कृपया ध्यान दीजिए कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की आजीवन सदस्यता शुल्क जो अभी तक मात्र 20,000 रूपए है, 1.7.2017 से यह बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया जाएगा। हम अभी से सूचित इस लिए कर रहे है कि जो भी शीतगृहस्वामी सदस्य नहीं बने हैं, 30.6.2017 तक इसका लाभ उठा सकते है। यदि आप जिन शीतगृहस्वामियों को सदस्य बनवाना चाहते हो, तो मात्र 20,000 रूपए भेज कर सदस्य बनवा सकते हैं। ➞

कोल्ड स्टोरेज में नये सीजन के भण्डारण के सम्बन्ध में :

नए व पुराने सदस्यों के लिए भण्डारण सम्बन्धी वर्ष 1998 में जारी किया गया सरकारी आदेश। इस आदेश में भण्डारण से सम्बन्धित नियम बताए गए है। इसे आप ध्यान से पड़ लें व इसका पालन करें। अच्छा होगा कि इसे आप अपने पास सुरक्षित भी रखें।

संख्या–3532/अठ्ठावन–1–98–100 (28) 1998

प्रेषक,

श्री अरविन्द मोहन, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक, उद्यान एंव खाद्य प्रसंस्करण (मै0क्षे0), उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाक : 16 अक्टूबर 98

विषय : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–44 के अधीन जारी निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियन 1976 (यथा संशोधित) की धारा–44 अधीन शीतगृहों में भण्डारण नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण की अनुज्ञा एंव लाइसेंस समयविधि तथा लाइसेंस के नवीनीकरण आदि हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है :–

भण्डारण हेतु उपलब्ध क्षमता का उपयोग।

1. प्रदेश के समस्त शीतगृहों में प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी से खिड़की और बुकिंग प्रक्रिया लाइसेन्सधारी द्वारा प्रारम्भ की जायेगी और कुल भण्डारण क्षमता का 85 प्रतिशत बुकिंग होने की अवधि तक अथवा फरवरी माह कह 14 तारीख तक जो पहले हो, बुकिंग चालू रखी जायेगी।

(1) कोल्ड स्टोरेज अधिनियम की धारा–14 (1) के अर्न्तगत 10 प्रतिशत क्षमता का उपयोग अधिकृत अधिकारी द्वारा 28 फरवरी तक दिये गये निर्देशो कि अनुपालन में इस प्रतिबन्ध के साथ कि 15 मार्च के अन्दर ही दिये गये निर्देश मान्य होंगे, किया जायेगा इसके पश्चात अवशेष भण्डारण क्षमता का उपयोग लाइसेंसधारी स्वविवेक और अधिनियम के प्राविधानों के अर्न्तगत रहते हुए करेगा।

(2) शेष 15 प्रतिशत क्षमता का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा नियमावली के नियम–3(18) के अनुसार किया जा सकेगा। →

बुकिंग हेतु पर्चा/स्लिप का निर्गमन

2 (क) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि आलू उत्पादक कृषक है तो उसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वा0डी0सी0सदस्य/जिला पंचायत सदस्य/ब्लाक प्रमुख/नगर पंचायत सदस्य x अध्यक्ष लेखापाल या ग्राम विकास अधिकारी से गाँव का काश्तकार होने के सम्बन्ध में केवल एक पर्ची (स्लिप) प्राप्त की जायेगी जिसमें उसका नाम, पिता का नाम ग्राम व पोस्ट, जनपद का नाम कुल बोये आलू का क्षेत्रफल कुल उत्पादित आलू की मात्रा बोरों/कुन्टल में तथा भण्डारित होने वाले आलू की मात्रा कुन्टल/बोरों में प्रमाणित की जायेगी। इस श्रेणी के भण्डारणकर्ताओं हेतु शीतगृह की कुल क्षमता की 75 प्रतिशत क्षमता नियत होगी।

(ख) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि कृषक नहीं है तो उसे आलू की भण्डारित कराने के लिये उसके द्वारा प्रस्तुत पर्ची में उसका नाम पिता का नाम स्थायी तथा व्यवमाय/जिलाधिकारी/परगनाधिकारी/जनपदीय उद्यान अधिकरी द्वारा प्रमाणित एवं आलू भण्डारित करने का उद्देश्य अंकित करना होगा। ऐसे भण्डारणकर्ताओं का आलू कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इस बुकिंग का रिकार्ड कृषकों की रिकार्ड पंजिका में पृथक पंजिका पर की जायेगी।

(ग) यकद 'क' व 'ख' में निर्धारित क्षमता की बुकिंग 14 फरवरी तक न हो तो लाइसेंसधारी लाइसेन्स अधिकारी को पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये शेष क्षमता का उपयोग स्वविवेक से कर सकता है।

बुकिंग खिड़की

बुकिंग हेतु प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक खिड़की पर बुकिंग हेतु संबंधित कर्मधारियों को व अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

बुकिंग की जमानत राशि

इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार और स्थान में उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में जितने कुन्तल भण्डारण के लिये बुकिंग दी जायेगी उसके सापेक्ष 10.00 रूपये (माने दस रूपये) प्रति कुन्तल की दर से जमानत की राशि भी देनी होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि 200 बोरा के लिये जमानत की अधिकतम धनराशि रूपया 1500 (रूपया पन्द्रह सौ मात्र) तथा इसके ऊपर बोरी के लिये रू0 4000.00 (रूपये चार हजार मात्र) से अधिक नहीं आ जायेगी। बुकिंग पर्चो पर इच्छुक भण्डारणकर्ता के आलू भण्डारण हेतु तिथि तथा उससे ली गयी जमानत की धनराशि की अंको एवं शब्दों में अंकित किया जायेगा एवं उसकी उचित रसीद भी दी जायेगी।

→

जमानत की धनराशि का समायोजन (5) इच्छुक भण्डारणकर्ता से ली गयी जमानत धनराशि का उसके द्वारा भण्डारित माल की निकासी के समय समायोजन कर दिया जायेगा।

भण्डारण न करने की दशा में जमानत की धनराशि को जब्त किया जाना (6) यदि कोई इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी बुकिंग के सापेक्ष माल भण्डारित नियत तिथि को नहीं कराता है तो उसके द्वारा दी गयी जमानत की धनराशि लाइसेंसधारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

बुकिंग एवं समीक्षा (7) प्रत्येक लाइसेंसधारी शीतगृहों पर की गयी बुकिंग को नियमानुसार पता व नाम की सूची जनपदीय उद्यान कार्यालयों को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध करायेगा और सम्बन्धित जनपदीय कार्यालय के अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार मौके पर जाकर समीक्षा करेंगे, तथा कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात अनियमित रूप से की गई बुकिंग को निरस्त कर सकेंगे प्रतिबन्ध यह है कि निरस्त करने की प्रक्रिया भण्डारण के पश्चात प्रभावी नहीं होगा।

भण्डारण रसीद व तौल सहित निर्गमन (8) लाइसेंसधारी भण्डारणकर्ता को अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत पूर्ण पतायुक्त रसीद भण्डारण होने के तुरन्त बाद निर्गत करेगा जिसमे तौल और किराये का पूर्ण विवरण भी अंकित किया जायेगा। इस हेतु समस्त भण्डारणकर्ता का भी दायित्व है कि वह 2 (क) व (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पता आदि का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दें।

बीमा (9) अधिनियम की धारा 23 में प्रत्येक लाइसेंसधारी से अपने कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट (चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा का प्राविधान है इन्हीं प्राविधानों के अनुरूप बीमा समय से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के आध्याय–8 में वर्णित कार्यवाही से पूर्व सन्दर्भत प्रकरणों पर लाइसेंस धारा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्धारित समय सीमा के अन्दर अवसर देगें तथा परीक्षण के पश्चात संतुष्ट होने पर नियमानुसार इस अध्याय के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।

नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण की अनुज्ञा एवं लाइसेंस हेतु समयाविधि (10) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–9 के अनुसार कोल्ड स्टोरेज निर्माण की अनुज्ञा अथवा नवनिर्मिन शीतगृहों का लाइसेंस अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति, नियमावली व लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रों एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करके आवेदन पत्र उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के जनपदीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और जनपदीय अधिकारी ऐसे

→

आवेदन पत्रों के प्राप्त होने पर प्राप्ति स्वीकार करने विषय रसीद सम्बन्धित आवेदनकर्ता को देंगे जिस पर कार्यालय की मुद्रा और तिथि अंकित होगी, साथ ही प्राप्त संलग्नकों का भी विवरण अंकित होगा।

जनपदीय उद्यान अधिकारी अपने स्तर पर उपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने आवेदन–पत्र अपने मण्डलीय अधिकारी को प्राप्ति तिथि से 10 दिनो के भीतर अग्रसारित कर देगें और मण्डलीय उद्यान अधिकारी के स्तर की कार्यवाही अधिकतम 5 दिनो मे पूर्ण कर प्रकरण को निदेशक एवं लाइसेंसिग अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 को अग्रसारित कर दिया जायेगा और निदेशक/लाइसेंसिग अधिकारी द्वारा अनुज्ञा/लाइसेंस 10 दिनों की अवधि में निर्गत किया जायेगा।

कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस दे नवीनीकरण हेतु समयावधि

(11) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस देना नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुये और लाइसेंसिग अधिकारी (कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेशक उदयान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये निर्धारित नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र जनपदीय उदयान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे और जनपदीय द्वारा उपरोक्त बिन्दु 10 की भाति प्राप्त रसीद दी जायेगी और समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी एवं लाइसेंसिग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेंसिग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा नवीनीकरण का पत्रावलियों का निस्तारण अधिकतम 5 दिनों में किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस को सामान्य नवीनीकरण की कार्यवाही पिछले वर्ष के नवम्बर माह के प्रथम पक्ष तक प्रत्येक दशा में सम्पादित करा दी जायेगी यह भी स्पष्ट दिया जाता है कि जनपदीय उद्यान कार्यालय द्वारा समस्त लाइसेंसधारियों को ट्रजरी चालान प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है और न ही इस हेतु लाइसेंसधारी को बाध्य किया जाये।

(2) कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्यो को भी अवगत करा दें।

भवदीय

(अरविन्द मोहन)

सचिव

➞

प्रदेश में कार्यरत शीतगृहो की संख्या और भण्डारण क्षमता कर विवरण हमे उद्यान विभाग से प्राप्त हुआ है जिसे हम आपके संज्ञान मे लाना चाहते है जिससे आपको पता लग जाये कि किस क्षेत्र में एक वर्ष में कितने नए शीतगृह किस क्षमता के साथ बढ़े हैं :–

वर्ष 2015–16			वर्ष 2016–17	
क्षमता	संख्या	जनपद	संख्या	क्षमता
18146.88	5	सहारनपुर	5	18146.88
90145.83	14	मुजफ्फर नगर	14	90145.83
24910.31	8	शामली	8	24910.31
133203.02	**27**	**सहारनपुर मण्डल**	**27**	**133203.02**
130688.61	24	मेरठ	24	130688.61
2800.00	4	बागपत	4	2800.00
142770.68	33	बुलन्दशहर	34	149538.68
21531.51	21	गजियाबाद	22	22930.07
143570.00	13	हापुर	13	143570.00
0.00	0	गौतमबुद्ध नगर	0	0.00
441360.80	**95**	**मेरठ मण्डल**	**97**	**449527.36**
580127.16	78	अलीगढ़	83	622507.54
1115741.29	114	हाथरस	121	1179517.76
152195.61	19	एटा	19	157615.22
74650.25	12	कासगंज	12	74650.25
1922714.31	**223**	**अलीगढ़ मण्डल**	**235**	**2034290.77**
302917.88	39	मथुरा	41	321606.88
2203281.48	261	आगरा	274	2341669.06

वर्ष 2015–16			वर्ष 2016–17	
क्षमता	संख्या	जनपद	संख्या	क्षमता
1403600.80	152	फिरोजाबाद	155	1430227.04
269584.88	33	मैनपुरी	35	286230.90
4179385.04	**485**	**आगरा मण्डल**	**505**	**4379733.88**
90098.24	16	बरेली	17	93567.49
222538.12	48	बदायूँ	51	240405.53
112220.13	21	शाहजहाँपुर	21	112220.13
10248.01	4	पीलीभीत	4	10248.01
435104.50	**89**	**बरेली मण्डल**	**93**	**456441.16**
39151.65	10	बिजनौर	10	39151.65
24284.33	3	मुरादाबाद	4	31122.83
83637.83	18	अमरोहा	18	83637.83
22558.50	5	रामपुर	5	25558.50
207034.29	34	सम्भल	35	217012.86
376666.06	**70**	**मुरादाबाद मण्डल**	**72**	**396483.67**
589934.74	66	फर्रुखाबाद	67	602026.20
934806.07	101	कन्नौज	106	982747.94
451256.93	44	इटावा	45	462301.90
55491.74	6	औरया	8	74328.24
477965.20	57	कानपुर नगर	58	487829.43
51673.91	7	कानपुर देहात	7	51673.91
2561128.59	**281**	**कानपुर मण्डल**	**291**	**2660907.62**

वर्ष 2015–16			वर्ष 2016–17	
क्षमता	संख्या	जनपद	संख्या	क्षमता
127290.47	17	फतेहपुर	17	127290.47
387695.82	48	इलाहाबाद	48	387695.82
57062.84	7	कौशाम्बी	7	57062.84
48638.00	9	प्रतापगढ़	9	48638.00
620687.13	**81**	**इलाहाबाद मण्डल**	**81**	**620687.13**
4000.00	1	झाँसी	1	4000.00
0.00	0	ललितपुर	0	0.00
6240.00	2	जालौन	3	14145.34
10240.00	**3**	**झाँसी मण्डल**	**4**	**18145.34**
6503.75	1	बाँदा	1	6503.75
0.00	0	चित्रकूट	0	0.00
0.00	0	हमीरपुर	0	0.00
0.00	0	महोबा	0	0.00
6503.75	**1**	**चित्रकूटधाम मण्डल**	**1**	**6503.75**
38375.71	11	वाराणसी	11	38375.71
2698.54	3	चन्दौली	3	2698.54
111825.11	25	जौनपुर	25	111825.11
282718.10	42	गाजीपुर	42	282718.10
435617.46	**81**	**वाराणसी मण्डल**	**81**	**435617.46**
17767.86	8	मिर्जापुर	8	17767.86
0.00	0	सोनभद्र	0	0.00

वर्ष 2015—16			वर्ष 2016—17	
क्षमता	संख्या	जनपद	संख्या	क्षमता
10386.32	2	रविदास नगर	2	15216.54
28154.18	**10**	**मिर्जापुर मण्डल**	**10**	**32984.40**
84385.04	12	बलिया	13	89809.98
22970.19	7	आजमगढ़	7	22970.19
19562.86	3	मऊ	2	14163.92
126918.09	**22**	**आजमगढ़ मण्डल**	**22**	**126944.09**
48044.76	8	गोरखपुर	8	48044.76
31909.76	8	महराजगंज	8	31909.76
0.00	0	देवरिया	0	0.00
2200.00	1	कुशीनगर	1	2200.00
82154.52	**17**	**गोरखपुर मण्डल**	**17**	**82154.52**
9162.90	2	बस्ती	2	9162.90
11059.20	2	संत कबीर नगर	2	11059.20
0.00	0	सिद्धार्थ नगर	0	0.00
20222.10	**4**	**बस्ती मण्डल**	**4**	**20222.10**
6585.00	1	गोण्डा	1	6585.00
0.00	0	बलरामपुर	0	0.00
52043.13	8	बहराइच	8	52043.13
0.00	0	श्रावस्ती	0	0.00
58628.13	**9**	**देवीपाटन मण्डल**	**9**	**58628.13**
186717.25	21	लखनऊ	21	186717.25
133614.56	18	उन्नाव	18	133614.56

→

वर्ष 2015—16			वर्ष 2016—17	
क्षमता	संख्या	जनपद	संख्या	क्षमता
235392.09	33	रायबरेली	33	236966.67
22155.00	7	सीतापुर	8	35192.38
125368.60	23	हरदोई	25	138993.86
8598.84	1	लखीमपुर खीरी	2	14681.26
711846.34	**103**	**लखनऊ मण्डल**	**107**	**746165.98**
57198.58	9	फैजाबाद	10	62857.76
47722.68	11	अम्बेडकर नगर	11	47722.68
15850.58	4	सुल्तानपुर	5	22373.80
15320.19	3	अमेठी	3	15320.19
207113.06	21	बाराबंकी	23	219777.27
343205.09	**48**	**फैजाबाद मण्डल**	**52**	**368051.70**
12493739.66	**1649**	**निजी शीतगृहों का योग**	**1708**	**13026692.08**
4000.00	**1**	**राजकीय शीतगृह, लखनऊ**	**1**	**4000.00**
2000.00	**1**	**राजकीय शीतगृह, मेरठ**	**1**	**2000.00**
12499739.65	**1651**	**महायोग**	**1710**	**13032692.08**

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित